Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 211-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 4, 2017 (AGRAHAYANA 12, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 दिसम्बर, 2017

संख्या 2/14/2017–4 एफ.आर..– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 33 में खण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(2) निम्नलिखित एक मास में दस दिन से अधिक के लिए दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकते है:–

(i) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

(ii) मुख्यमन्त्री हरियाणा के प्रधान सचिव,

(iii) मुख्यमन्त्री हरियाणा के सभी विशेष कार्य अधिकारी,

(iv) उपायुक्त एक मास में पन्द्रह दिन तक;

(v) पंचायती राज विभाग सहित लोक निर्माण विभाग के तीनों विंगों के कनिष्ठ अभियन्ता एक मास में बीस दिन तक;

(vi) थानों में, तैनात पुलिस कार्मिक एक मास में बीस दिन तक।''

3. उक्त नियमों में नियम 76 में खण्ड (6) के बाद, अन्त में, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''(7) एजेंसी के स्वरूप को ध्यान में रखे बिना जो लागत वहन करती है, किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष के दौरान दो से अधिक सरकारी भ्रमण करने की अनुमति नहीं होगी।''

4. उक्त नियमों में, नियम 78 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"78.– सरकारी कर्मचारी द्वारा घोषणा.– सरकारी कर्मचारी इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय अपना यात्रा भत्ता प्रस्तुत करते समय यात्रा भत्ता बिल पर अपने हस्ताक्षर से निम्न अनुसार घोषणा करेगाः–

(1) प्रमाणित किया जाता है कि अधिकार–क्षेत्र से बाहर सक्ष्म प्राधिकारी की अनमुति के पश्चात् यात्रा की है ।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि यात्रा भत्ता बिल में दावा की गई यात्रा मेरे द्वारा यातायात के उसी साधन से वास्तव में मेरी हकदारी के अनुसार की गई है जैसा कि स्वीकृत दौरा कार्यक्रम में दर्शाया गया है ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि मैं रविवार तथा छुट्टी जिसके लिए दैनिक भत्ते का दावा किया गया है को ड्यूटी पर था तथा न कि केवल रचनात्मक रूप से ड्यूटी पर था ।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने समय जिसके लिए दैनिक भत्ते का दावा किया गया है के दौरान न तो अनुपस्थित और न ही आकस्मिक अवकाश पर था ।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि मुझे ठहराव के दौरान राजकीय अतिथि नहीं समझा गया था और न ही मुफ्त में रहने तथा खाने की व्यवस्था की गई है ।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि वापसी यात्रा की टिकट खरीद ली गई थी जहां ऐसी टिकटें उपलब्ध थी।

(7) मैं जानता हूं कि यदि यह पाया जाता कि दावा या उसका भाग गलत तथ्यों पर आधारित है, तो मैं हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 या अन्य सुसंगत नियम जो मुझे लागू हैं, के अधीन बड़ी शास्तियों के लिए अनुशासनिक कारवाई का दायी हूंगा।

दिनांक ..... (कर्मचारी के हस्ताक्षर)"।

पि० राघवेन्द्र राव,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 4th December, 2017

No. 2/14/2017-4FR.— In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Civil Services (Travelling Allowance) Rules, 2016, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Civil Services (Travelling Allowance) Amendment Rules, 2017.

2. In the Haryana Civil Services (Travelling Allowance) Rules, 2016, (hereinafter called the said rules), in rule 33, for clause (2), the following clause shall be substituted, namely:-

"(2) The following may draw daily allowance for more than ten days in a month:-

(i) Chief Secretary to Government, Haryana.

(ii) Principal Secretary to Chief Minister, Haryana

(iii) All OSDs to Chief Minister, Haryana

(iv) Deputy Commissioners upto fifteen days in a month;

(v) Junior Engineers of three wings of Public Works Department including Panchayati Raj Department upto twenty days in a month;

(vi) Police personnel posted in police stations upto twenty days in a month."

3. In the said rules, in rule 76, after clause (6), the following clause shall be added at the end, namely:-

"(7) No Government employee shall be allowed to undertake more than two official visits during a financial year, irrespective of the nature of the Agency which bears the cost.".

4. In the said rules, for rule 78, the following rule shall be substituted, namely :-

"78. Declaration by the Government employee.— *The Government employee while submitting his travelling allowance claim admissible under these rules shall make a declaration in his own hand on the travelling allowance bill as under:-*

(1) Certified that the journey beyond jurisdiction was performed by me after the approval of competent authority.

(2) Certified that the journeys as claimed in the T.A. Bill were actually performed by me by the mode of transport as per my entitlement as shown in my approved tour programme.

(3) Certified that I was actually and not merely constructively on duty on Sundays and Holidays, for which daily allowance has been claimed.

(4) Certified that I was not absent or on casual leave during the period for which daily allowance has been claimed.

(5) Certified that I was not treated as State Guest during the period for halt and provided with free lodging and boarding.

(6) Certified that return ticket was purchased for journeys where such tickets were available.

(7) I do understand that in case it is found that the claim or part thereof is based on wrong facts, I shall be liable to the disciplinary action for major penalties under the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules or relevant rules applicable to me.

Date :_____ (Signature of the employee).".

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Finance Department.

55842—C.S.—H.G.P., Chd.